बीस रुपये TWENTY RUPEES

न्यायालय सम्मा० राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर (म०प्र०)

R-3835-I/14

(1) माखन तनय भागीरथ अहिरवार

(2) गौरा पुत्री भागीरथ अहिरवार

दोनो निवासी- ग्राम करई तहसील वा जिला सागर

-- पुनरीक्षणकर्ता गण

|| बनाम ||

(अ) ग्याप्रसाद तनय चैते अहिरवार ( मृत)

वारसान (1) बृजरानी पत्नि ग्या प्रसाद अहिरवार

(2) बलराम उम्र करीब 25 साल बल्द ग्याप्रसाद अहिरवार

(3) बसंती बाई उम्र करीबन 35 साल पुत्री ग्याप्रसाद अहिरवार

(4) मीरा उम्र 33 साल पुत्री ग्या प्रसाद अहिरवार

(5) नर्मदा उम्र करीबन 30 साल पुत्री ग्या प्रसाद अहिरवार

(6) उमा पुत्री 2 ग्याप्रसाद अहिरवार उम्र करीब 29 साल

(7) भागबाई उम्र करीबन 24 साल पुत्री ग्याप्रसाद अहिरवार

(8) लक्ष्मी उम्र करीबन 17 साल पुत्री ग्याप्रसाद अहिरवार

(9) उर्मिला उम्र करीबन 16 साल पुत्री ग्याप्रसाद अहिरवार

सभी निवासी- ग्राम करई तहसील वा जिला सागर

(ब) शंकर तनय स्व० चैते अहिरवार

निवासी- ग्राम करई तहसील वा जिला सागर

-- रैस्पाडेन्ट

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म०प्र० भू० रा० सं०

पुनरीक्षण कर्ता पुनरीक्षण प्रस्तुत कर प्रार्थना करते हैं :-

पुनरीक्षण कर्ता यह पुनरीक्षण अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान अनु-विभागीय अधिकारी महोदय सागर के राजस्व अपील प्रकरण क्रमांक 90-अ/6 / वर्ष 2012-013 से

माखन

XXXIX(a)BR(H)-11

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(14)

प्रकरण क्रमांक निग. 3835–एक / 14 जिला – सागर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 3–12–14 सागर कैंप | आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल दुबे उपस्थित । उन्हें प्रकरण की ग्राह्यता पर सुना गया ।<br>2– प्रकरण का अवलोकन किया गया एवं आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया । अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत संहिता की धारा 32 के आवेदन को दोनों पक्षों को सुने जाने के उपरांत इस आधार पर निरस्त किया गया है कि व्यवहार न्यायालय द्वारा व्यवहार वाद सिविल कोर्ट में पेश नहीं करने के आदेश दिए हैं इस न्यायालय को निर्देशित नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपने स्थान पर उचित और न्यायिक है । प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर अभी अधीनस्थ न्यायालय में होना है जहां आवेदकों को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है । दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी अग्राह्य की जाती है ।<br>प्रशा0 सदस्य | |